सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बन्धित शक्तियों/कार्य का विवरण लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।

1. परिक्षेत्र स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एक जनसूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक नोडल जनसूचना अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ एक जनसूचना अधिकारी एवं एक आरक्षी की नियुक्ति की गयी है।

2. **नोडल जनसूचना अधिकारी के प्रमुख कार्य:-**

   a) मीडिया से तालमेल: सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियां (Press Release) आयोजित करना।

   b) डेटा अद्यतन: अपनी वेबसाइट या पोर्टल पर अपीलीय अधिकारी, नोडल अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी को नियमित रूप से अपडेट करना।

3. **नोडल जनसूचना अधिकारी की शक्तियाँ:-**

   a) सहायता प्राप्त करना: जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी की मदद लेने का अधिकार।

   b) सूचना से मना करना: यदि मांगी गई जानकारी धारा 8 या 9 के तहत छूट के दायरे में आती है तो उसे निरस्त करने या मना करने की शक्ति (कारणों सहित)।

   c) तीसरे पक्ष का नोटिस: यदि जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित हैतो उन्हें नोटिस जारी करने का अधिकार।

   d) *विशेष परिस्थितियाँ:* यदि जानकारी जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हैतो उसे 48 घंटे के भीतर प्रदान करना अनिवार्य है।

4. **जनसूचना अधिकारी की शक्तियाँ/कार्य :-**

   a) आवेदन प्राप्त करना और हस्तांतरण: नागरिकों से सूचना के आवेदन प्राप्त करना और यदि जानकारी किसी अन्य शाखा से संबंधित है तो उसे 5 दिनों के भीतर सही अधिकारी को स्थानांतरित करना।

   b) सूचना का संकलन: विभिन्न विभागों या शाखाओं से जानकारी प्राप्त कर आवेदक को 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना।

   c) जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर 30 दिनों के अन्दर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों (हरदोई, खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव) को अन्तरित किया जाना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना/कराना।

5. **दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:-**

   - मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त जनसूचना आवेदन पत्र।
   - अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन, लखनऊ द्वारा प्राप्त जनसूचना आवेदन पत्र।
   - पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त जनसूचना प्रार्थना पत्र।
   - शासन/अन्य से प्राप्त जनसूचना प्रार्थना पत्र।
   - अपीलीय प्रार्थना पत्र।
   - वेबसाइट या पोर्टल पर प्राप्त जनसूचना प्रार्थना पत्र/अपीलीय प्रार्थना पत्र।

6. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम :- पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियो की नियुक्ति का विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्य
1	श्री प्रवीण कुमार तोमर	निरीक्षक गोपनीय/ नोडल जनसूचना अधिकारी	मीडिया से तालमेल: सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियां आयोजित करना, डेटा अद्यतन: अपनी वेबसाइट या पोर्टल पर अपीलीय अधिकारी, नोडल अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी को नियमित रूप से अपडेट करना । यदि मांगी गई जानकारी नियमानुसार निरस्त करने या मना करने की शक्ति (कारणों सहित) ।तीसरे पक्ष का नोटिस: यदि जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है तो उन्हें नोटिस जारी करने का अधिकार।
2	श्री अनिल कुमार	निरीक्षक ना0पु0/ जनसूचना अधिकारी	आवेदन प्राप्त करना और हस्तांतरण: नागरिकों से सूचना के आवेदन प्राप्त करना और यदि जानकारी किसी अन्य शाखा से संबंधित है तो उसे 5 दिनों के भीतर सही अधिकारी को स्थानांतरित करना। सूचना का संकलन: विभिन्न विभागों या शाखाओं से जानकारी प्राप्त कर आवेदक को 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना । जनसूचना धिकारी द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर 30 दिनों के अन्दर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों (हरदोई, खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव) को अन्तरित किया जाना । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना/कराना।
3	श्री सुशील कुमार तिवारी	आरक्षी ना0पु0	

28/02/26

(अनिल कुमार)
जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक,
लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।

संख्याःकोल-ज0सू0अ0-(कार्य विवरण)/2026
दिनांक:लखनऊःफरवरी 28 , 2026